(6)

अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या–.....35.....सन् 2014–15

केश का प्रकार .....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार– सरकार (अंचल अधिकारी, जयनगर) प्रतिपक्षीः– लगनदेव हाजरा

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
27.7.2017	प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, जयनगर द्वारा अंचल अधिकारी, जयनगर के कार्यालय में संधारित अभिलेख में की गयी अनुशंसा के आधार पर इस न्यायालय में बिहार भूमिदाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत प्रारम्भ करते हुये प्रतिपक्षी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अंचल अधिकारी, जयनगर ने राजस्व अभिलेख के आधार पर आदेशफलक में लिखा कि जमाबंदी संख्या–4952 लगनदेव हाजरा के नाम से चलती है जिसमें सी0एस0खाता–555, 1239 सी0एस0खेसरा 5030, 5031,5032 रैयती खाता की भूमि है। **इसी खाता एवं खेसरा के अंश भाग से आर0एस0खाता 4232 खेसरा 8218 रकवा 0.03 डी0 बना है जो अनाबाद बिहार सरकार है।** ऐसी स्थिति में जमाबंदी संख्या–4952 में उपर्युक्त रकवा सन्निहित रहना नियमानुकूल नहीं है जिसे रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। अभिलेख में सी0एस0एवं आर0एस0खतियान की सच्ची प्रति, जमाबंदी पंजी–2 की सच्ची प्रति एवं अंचल अमीन का प्रतिवेदन तथा ट्रेस मैप भी संलग्न किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, जयनगर ने अंचल अधिकारी, जयनगर के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अनुशंसा के साथ अभिलेख को इस न्यायालय में अग्रसारित किया। संलग्न साक्ष्य में सी0एस0खतियान में यह रैयती है किन्तु आर0एस0खतियान में विवरण निम्न प्रकार हैः–मौजा–बेलही थाना नं. 119 खाता संख्या–4232 अभिधारी का नाम–अनाबाद बिहार सरकार, खेसरा संख्या–8218 भूमि का स्वरूप गढ़ा रकवा 0–03 (एकड़/डी.) हेक्टेयर–.012 है। अपने प्रत्युत्तर में प्रतिपक्षी ने लिखा है कि मौजा– बेला बेलही के नया खाता नं. 4232 खेसरा नं. 8218 के निसवत अतिक्रमण खाली करने का नोटिस विपक्षी को अंचल स्तर से दिया गया साथ ही विपक्षी लगनदेव हाजरा के नाम से कायम जमाबंदी नम्बर 4952 में से अंश रकवा 8½ धूर की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। बिहार सरकार को खसेरा नं. 8218 के किसी भी अंश पर हकीयत वो दखल कब्जा नहीं है। सिर्फ रिभिजनल सर्वे अमला की गलती से अनाबाद बिहार सरकार अंश भाग में दर्ज हो गया है। पुराना खेसरा संख्या–5031 रकवा 9 धूर का कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान रैयती है जिसका पूर्व में भी कई लोगों के हाथों निबंधित केवाला के माध्यम से हस्तान्तरण हुआ। प्रतिपक्षी भी उक्त रैयती भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से क्रय किया जिस पर वे दखलकार हैं जिसका जमाबंदी कायम हुयी एवं मालगुजारी रसीद बिहार सरकार को अदा करते आ रहे हैं। जब विपक्षी को यह पता चला कि रिभिजनल सर्वे खतियान में नया खेसरा नं. 8218 रकवा 3 डिसमल बिहार सरकार के नाम से दर्ज हो गया है तो हकीयत वाद संख्या–192/2016 सिविल न्यायालय में बिहार सरकार के विरूद्ध दर्ज किया गया	

(7)

जिसमें सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान से ही उक्त भूमि खतियानी रैयती है जिसपर बिहार सरकार का एक क्षण भी हकीयत वो दखल कब्जा नसीब नहीं हुआ और न है। बिहार सरकार को उससे कोई सरोकार नहीं हैं विपक्षी लगनदेव यादव के नाम से चल रहे जमाबंदी नम्बर 5952 रकवा 01 बि. 06 कट्ठा 17½ **धूर में से** अंश रकवा साढ़े आठ धूर को जो रैयती जमीन को रद्द करने का अधिकार वो क्षेत्राधिकार रभेन्यू न्यायालय को नहीं है। लगनदेव यादव का ही नाम लगनदेव हाजरा है वो वे दोनों नाम से जाने जाते हैं। अतः जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या–35/15–16 को साथ हर्जाना वो खर्चा के खारिज किया जाये। प्रतिपक्षी की ओर से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दाखिल किया गया है जिसमें पी0एल0जे0आर02017 भौलूम 1 पेज 818 से 821 एवं निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया है:–

1– असल इन्फोरमेशन आवेदन की छाया प्रति–3 फर्द
2– असल नजरी नक्सा की छाया प्रति– 1 फर्द
3– असल रिविजनल सर्वे खतियान खाता नं. 711 बनाम चुल्हाइ पूर्वे की छाया प्रति।
4– असल रिविजनल सर्वे खतियान खाता 4232 बनाम– अनाबाद बिहार सरकार की छाया
5– असल केवाला दिनांक 8.6.1995 की छाया प्रति–
6– असल केवाला दिनांक 13.6.78 की छाया प्रति–
7–लगान रसीद की छाया प्रति एक फर्द
8– शशिशेखर हाजरा पिता लगनदेव हाजरा बेला के नाम निर्गत एल0पी0सी0की छाया प्रति।

प्रतिपक्षी की ओर से लिखित बहस भी दी गयी है जिसमें प्रत्युत्तर की अधिकांश बातों को दोहराते हुये मुख्य रूप से लिखा है कि उक्त जमाबंदी के विरूद्ध हकीयत मोकदमा दायर किया जा चुका है ऐसी स्थिति में इस जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार सरकार को नहीं है। उक्त जमाबंदी अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज करने के माध्यम से कायम किया गया है जिसे कानूनन रद्द नहीं किया जा सकता है।

अभिलेख में अंचल अधिकारी, जयनगर से प्राप्त प्रतिवेदन, संलग्न साक्ष्यों, प्रतिपक्षी के प्रत्युत्तर पर विज्ञ सहायक सरकारी अधिवक्ता की राय प्राप्त की गयी। विज्ञ सहायक सरकारी अधिवक्ता की राय है कि विपक्षी के प्रत्युत्तर को खारिज करते हुये संदेहास्पद जमाबंदी जो सरकारी खाते की है, की जमाबंदी को खारिज किया जाय। सरकारी जमीन की रक्षा करना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। **आर0एस0खतियान खाता 4232 खेसरा 8218 रकवा 03 डिसमल का खाता अनाबाद बिहार सरकार के नाम दर्ज है जिसका जमाबंदी रैयती कायम रखना उचित नहीं होगा।** विपक्षी का जवाब बिल्कुल बेबुनियाद, आधारहीन एवं तथ्यहीन है।

अंचल अधिकारी, राजस्व अभिलेख के संरक्षक हैं जिन्होंने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुये प्रतिवेदित किया है कि प्रतिपक्षी के रैयती खाता एवं खेसरा के अंश भाग में आर0एस0खाता 4232 खेसरा 8218 रकवा 0.03 डी0 बना है जो अनाबाद बिहार सरकार है। ऐसी स्थिति में जमाबंदी संख्या–4952 में उपर्युक्त रकवा सन्निहित रहना नियमानुकूल नहीं है। आर0एस0खतियान के अनुसार जमाबंदी संख्या–4952 में सन्निहित रकवा 01–06–17½ में से अंश रकवा 0.03 धूर जो अनाबाद बिहार सरकार दर्ज है, को रद्द की जाय।

(8)

अतएव अंचल अधिकारी, जयनगर से प्राप्त प्रतिवेदन, जो भूमि सुधार उप समाहर्ता, जयनगर द्वारा अनुशंसित है तथा साक्ष्य के रूप में सी0एस0खतियान एवं आर0एस0खतियान की सच्ची प्रति, पंजी–2 की उक्त पन्ने की सच्ची प्रति, अमीन का ट्रेस मैप एवं राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के साथ प्रेषित की गयी है, प्रतिपक्षी का प्रत्युत्तर सभी कागजातों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी के रैयती खाता एवं खेसरा के अंश भाग में आर0एस0खतियान खाता 4232 खेसरा 8218 रकवा 0.03 डी0 बना है जो अनाबाद बिहार सरकार है। प्रतिपक्षी द्वारा दायर हकीयत वाद में माननीय सिविल न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन अथवा किसी प्रकार के आदेश होने की साक्ष्यीय सूचना इस न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में जमाबंदी संख्या–4952 में उपर्युक्त रकवा जो सरकारी खाते की है, रैयती जमाबंदी में सन्निहित रहना नियमानुकूल नहीं है। आर0एस0खतियान के अनुसार मौजा–बेलही थाना नं. 119 खाता संख्या–4232 अभिधारी का नाम–अनाबाद बिहार सरकार, खेसरा संख्या–8218 भूमि का स्वरूप गढ़ा रकवा 0–03 (एकड़/डी.) (तीन डिसमल) हेक्टेयर–.012, जो अंचल अधिकारी, जयनगर के प्रतिवेदनानुसार प्रतिपक्षी के जमाबंदी संख्या–4952 में सन्निहित है, **की जमाबंदी को रद्द की जाती है।**

आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, जयनगर एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, को भेजें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

27.7.17

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

27.7.17

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।